न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

.ण संख्या :–133/2019

.र्थीः–

जोईताराम उर्फ जोरावरसिह पुत्र श्री माधूसिंह जाति पुरोहत निवासी मुठली तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगणः–

1. भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बाडमेर
2. कालुराम पुत्र खंगाराराम
3. सकुदेवी पत्नी खंगाराराम
4. डाउराम पुत्र माधाराम
5. पुखराज पुत्र माधाराम
6. भंवरलाल पुत्र माधाराम
7. मोहनलाल पुत्र माधाराम
8. राणाराम पुत्र खंगाराराम
9. सोदरी देवी पत्नी माधाराम
10. नकलसिह पुत्र सांवलसिंह समस्त जातियान पुरोहित निवासीयान मुठली तहसील सिवाना जिला बाडमेर
11. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा सिवाना

प्रार्थना पत्र अन्तार्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री महेन्द्रसिह सोढा अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थीगण अनुपरिथत

–:: आदेश ::–

दिनांक :–16.07.2021

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी खेत सरहद मौजा मूठली पटवार मण्डल थापन खसरा संख्या 156,460,469,470,475,498,499,512 व 523 कुल खसरा 09 कुल रकबा 13.2411 हैक्टयर की भूमि आई हुई है। उक्त भूमियों में प्रार्थी का 1/10 हिस्सा बनता है। वादग्रस्त भूमियों में प्रार्थी का नाम जोईताराम पुत्र माधाराम दर्ज है। प्रार्थी के सभी दस्तावेज यथा आधारकार्ड व राशनकार्ड, इत्यादि में जोरावरसिंह दर्ज है। प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतो की भूमि में जोईताराम नाम दर्ज होने से सरकारी सेवाओं एंव ऋण इत्यादी में भारी परेशानी रहती हैं जोईताराम पुत्र माधाराम व जोरावरसिंह एक ही व्यक्ति होकर प्रार्थी स्वंय है जिससे राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई गलती को सुधार किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गया। विप्रार्थीगण को नोटिस तामिलसुदा प्राप्त । विप्रार्थीगण द्वारा इकबाली जबाव प्रस्तुत कर

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.02 18:15:00 IST
Reason: SelfAttested

रा चाहे गये अनुतोष बाबत सहमति प्रदान की गई। तहसीलदार सिवाना द्वारा भू.अ./2021/1073 दिनांक 05.07.2021 द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई ।

मने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी । प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का नाम राजकीय दस्तावेजात के आधार पर जोईताराम पुत्र माधाराम के स्थान पर जोरावरसिंह पुत्र माधुसिंह किये जाने हेतु निवेदन किया ।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजकीय दस्तावेजात यथा आधारकार्ड,वोटरकार्ड, राशनकार्ड,जनआधार कार्ड दस्तावेजात इत्यादि में प्रार्थी का नाम जोरावर पुत्र माधूसिंह अंकित है । प्रार्थी का नाम दुरूस्त किये जाने बाबत विप्रार्थीगण ने भी अपने इकबाली जबाब मे प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष बावत सहमति जाहिर की है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के संलग्न पटवारी रिपोर्ट में भी प्रार्थी का नाम जोईताराम पुत्र माधाराम के स्थान पर जोरावरसिंह पुत्र माधूसिंह किये जाने हेतु अनुशंषा की है। ग्राम पंचायत मूठली द्वारा भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर अवगत करवााया गया है कि जोईताराम पुत्र माधाराम व जोरावरसिंह पुत्र माधूसिंह दोनो एक ही व्यक्ति है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि सरहद मौजा मूठली पटवार मण्डल थापन खसरा संख्या 156,460,469,470,475,498,499,512 व 523 कुल खसरा 09 कुल रकबा 13.2411 हैक्टयर में अंकित अशुद्ध नाम "जोईताराम पुत्र माधाराम" के स्थान पर " जोरावरसिंह पुत्र माधूसिंह" शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना आदेश की पालना एक माह में कर पालना रिर्पोट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 16.07.2021.को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.02 18:15:00 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) सिवाना